B-384
L-09
Polity

उच्चतम न्यायालय का निर्णय और संविधान संशोधन

1. आरक्षण और नवीन सूची

1.) इंदिरा साहनी वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी लेकिन तमिलनाडु राज्य के द्वारा 69% आरक्षण दिया जा रहा था। जिसे बचाने के लिए संसद के द्वारा 76 वाँ संविधान संशोधन किया गया और तमिलनाडु के आरक्षण को नवीन सूची में शामिल किया गया।

2.) नवीन सूची का निर्माण केवल भूमि सुधारों के लिए किया गया था इसके दुरुपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने आई० आर० कोएल्हो वाद में यह कहा कि यदि नवीन सूची में कोई विषय वर्ष 1993 के बाद शामिल किया गया हो तो इसे न्यायालय रद्द कर देगा।

अतः 9वीं अनुसूची में रखकर अब आरक्षण को बचाना कठिन है।

प्रोन्नति में आरक्षण :-

- प्रोन्नति में आरक्षण का पहली बार प्रावधान 77वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया (नरसिम्हा राव सरकार) जिसके द्वारा अनुच्छेद 16(4)(a) जोड़ा गया जिसमें यह उल्लेखित किया गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रोन्नति में मिलने वाला आरक्षण बना रहेगा और उन्हें परिणामी वरिष्ठता का लाभ भी मिलेगा।
- यह संशोधन उच्चतम न्यायालय के निर्णय को परिवर्तित करने के लिए किया गया।
- उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी वाद में माना था कि यदि आरक्षित वर्ग की सीटें भरी नहीं जाती तो इसे अगले वर्ष की रिक्तियों में जोड़ दिया जाएगा (carry forward) लेकिन न्यायालय ने यह भी कहा था कि आरक्षण की मात्रा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए इस समस्या के समाधान हेतु संसद में पुनः 81वाँ संविधान संशोधन (वर्ष 2000) किया गया और अनुच्छेद 16(4)(b) जोड़ा गया।

जिसके अनुसार, Back log Seat के लिए आरक्षण की 50% की सीमा लागू नहीं होगी अपितु इसे शत. प्रतिशत (100%) आरक्षित किया जा सकता है।

(i) प्रोन्नति में आरक्षण पर विवाद :-

- 77वें संविधान संशोधन के बावजूद प्रोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर विवाद समाप्त नहीं हुआ क्योंकि 2006 में नागराजन वाद में उच्चतम न्यायालय ने इस संविधान संशोधन को संवैधानिक कहा लेकिन यह भी शर्त लगा दी कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देते समय निम्नलिखित मानकों को पूर्ण करना आवश्यक है:-

(i) वे अभी भी पिछड़े हैं

(ii) इनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है

(iii) इससे सेवाओं की कुशलता प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

इस विवाद को पुनः जनरैल सिंह वाद में सुना गया। जिसमें यह तर्क दिया गया कि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए क्रीमीलेयर का कोई प्रावधान लागू नहीं होना चाहिए लेकिन प्रोन्नति में आरक्षण देते समय क्रीमीलेयर का प्रयोग आवश्यक है।

पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में उपवर्गीकरण;

(•) पिछड़े वर्गों के आरक्षण को राज्यों ने पहले ही अनेक वर्गों में विभाजित कर दिया है। संघ सरकार के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं और केन्द्रीय सेवाओं के लिए पिछड़े वर्गों के आरक्षण के वर्गीकरण के लिए जस्टिस रोहिणी आयोग का गठन किया जिसके द्वारा अखिल भारतीय सेवा और केन्द्रीय सेवाओं के लिए पिछड़े वर्गों को दिए जा रहे आरक्षण को चार श्रेणीयों में विभाजित करने की अनुशंसा की गई है लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है।

• अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिए गए आरक्षण को भी अनेक राज्यों ने वर्गीकृत कर दिया और 2004 में ई०वी० चिन्नैया वाद में उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए किए जाने वाले वर्गीकरण को रद्द कर दिया।

• लेकिन वर्ष 2024 में उच्चतम न्यायालय ने चिन्नैया वाद के निर्णय को पलट दिया और यह कहा कि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले आरक्षण में भी उपवर्गीकरण होगा। न्यायालय ने यह भी वक्तव्य दिया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी क्रीमीलेयर को

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

लगाने की आवश्यकता उत्पन्न गयी है।

आरक्षण का मुद्दा समर्थन और विरोध

- आरक्षण के सम्बन्ध में निम्नलिखित तर्क इसकी उपयोगिता को साबित करते हैं-

(i) संविधान में सामाजिक न्याय और समानता को बनाए रखने हेतु।

(ii) समाज में सभी वर्गों के लिए नौकरियों के रूप में संसाधनों का आवंटन।

(iii) कल्याणकारी स्वरूप तभी प्रभावी होगा जब सेवाओं में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो जिससे योजना का बेहतर क्रियान्वयन संभव हो सके।

(iv) समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए

आरक्षण के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं—

(i) अवसर की समानता के विरूद्ध है।

(ii) कुशलता प्रतिस्पर्धा के प्रतिकूल है।

निष्कर्ष :- संविधान में न्याय और कुशलता का बेहतरीन सामंजस्य स्थापित किया गया है और आरक्षण संरक्षणात्मक भेद का एक माध्यम है अतः समस्या इसके राजनीतिकरण को लेकर है।

छुआछूत के विरुद्ध अधिकार

- भाग 3 में उल्लेखित मूल अधिकारों को दो श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है

(i) स्वतः लागू होने वाले मूल अधिकार
जैसे - अनुच्छेद 14, 15, 19, 21।

(ii) वे अधिकार जिन्हें क्रियान्वित करने के लिए संसदीय विधि के निर्माण की आवश्यकता होती है जैसे- अनु० - 17, 23, 24, 33, 34

मूल अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए विधि के निर्माण का अधिकार केवल संसद को है राज्य विधान सभाओं को नहीं है (अनु० 35)।

इसलिए अनु० 17 में उल्लेखित छुआछूत को प्रतिबंधित करने हेतु 1955 में छुआछूत विरोधी अधिनियम का निर्माण किया गया और इसका नाम बदलकर 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया।

इस अधिनियम से छुआछूत को परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन इसके प्रयोग करने वाले अभियुक्त को दो वर्ष की सजा दी जाती है जिसमें न्यायालय के सामने अभियुक्त को दोषी मानकर विचार

किया जाता है इसलिए यह विधि कठोर है।

क्योंकि सामान्यतः भारतीय न्यायालय अभियुक्त को निर्दोष मानकर विचार करता है (Presumption of innocence)।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR